

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3781  
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

### विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य

†3781. श्री जिया उर रहमान:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि विद्यालयों और पॉलिटेक्निक और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रायोगिक कार्य (प्रैक्टिकल) की उपेक्षा किया जाना चिंता का कारण है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संबंधित जनों को प्रेरित करने और इस संबंध में संस्थाओं द्वारा त्वरित, सटीक और सही सुधार लागू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को कौशल शिक्षा प्रदान करने के तरीके की पूरी तरह से पुनर्कल्पना की परिकल्पना की गई है। इस नीति में चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षा संस्थानों में कौशल शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की सिफारिश की गई। कौशल शिक्षा के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन कौशल अंतर विक्षेषण और स्थानीय अवसरों की मैपिंग के आधार पर किया जाएगा।

केंद्र प्रायोजित योजना ‘समग्र शिक्षा’ के कौशल शिक्षा घटक के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) से जुड़े कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा IX और X में, विद्यार्थियों को कौशल मॉड्यूल एक अतिरिक्त विषय के रूप में

प्रस्तुत किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा XI और XII में, कौशल पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन, 10 बैगलेस दिन आदि को समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत, एनएसक्यूएफ स्तर अनुकूलित नौकरी भूमिकाओं (जेआर) को उद्योग 4.0, वेब 3.0, एआई/एमएल, एआर/वीआर, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थव्यवस्था और ऊर्जा परिवर्तन जैसे नए युग के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यान्वित किया जाता है। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल नौकरी भूमिकाओं (जेआर) के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। जेआर के लिए पाठ्यक्रम को लगातार अधिक व्यावहारिक प्रशिक्षण, कार्यशाला अभ्यास और व्यावहारिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जाता है। वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, सामुदायिक कॉलेजों, अस्पतालों, कृषि फार्मों आदि में विशेष व्यावहारिक कार्य और प्रशिक्षण के लिए समग्र शिक्षा के तहत भी प्रावधान किया गया है।

एनईपी 2020 में यह भी सिफारिश की गई है कि सभी छात्र कक्षा 6-8 के दौरान 10-दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लें, जहाँ वे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे स्थानीय विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करते हैं। इस सिफारिश के अनुसरण में, सरकार ने संबंधित हितधारकों के परामर्श से 10 बैगलेस दिनों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कक्षा 6-8 के बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति का उपयोग करके कौशल शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में पढ़ाई को आनंदमय और तनाव मुक्त बनाना है। दिशानिर्देश

<https://www.psscive.ac.in/storage/uploads/others/Guidelines/pdf/english/guidelines-for-implementation-of-10-bagless-days-in-school-english.pdf>. पर उपलब्ध हैं।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसकी एक प्रति [https://www.ugc.gov.in/pdfnews/9028476\\_Report-of-National-Credit-Framework.pdf](https://www.ugc.gov.in/pdfnews/9028476_Report-of-National-Credit-Framework.pdf). पर उपलब्ध है।

एनसीआरएफ को लागू करने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में एनसीआरएफ के प्रचालन को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। अधिसूचना की एक प्रति

[https://cbseacademic.nic.in/web\\_material/Notifications/2023/75\\_Notification\\_2023.pdf](https://cbseacademic.nic.in/web_material/Notifications/2023/75_Notification_2023.pdf) पर देखी जा सकती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपरोक्त सीबीएसई-एसओपी को एक मॉडल के रूप में लेकर अपने स्वयं के एसओपी तैयार करने की छूट भी दी गई।

सीबीएसई ने विषय की मांग के अनुसार शैक्षणिक विषयों के लिए व्यावहारिक कार्य/परियोजना/आंतरिक मूल्यांकन को 20-70% वेटेज आवंटित किया है और सभी कौशल विषयों के व्यावहारिक कार्य को 50% वेटेज भी आवंटित किया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, आईटीआई आदि जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से कौशल पाठ्यक्रम संचालित करता है। एनआईओएस द्वारा नियमित आधार पर व्यावहारिक और सैद्धांतिक कक्षाओं की निगरानी की जाती है।

एआईसीटीई ने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को अधिक व्यावहारिक बनाने और छात्रों को अतिरिक्त उद्योग अनुभव प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसने अपनी इंटर्नशिप नीति के माध्यम से इंटर्नशिप को तकनीकी शिक्षा का एकीकृत हिस्सा बना दिया है और अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की कमी को दूर करने और छात्रों की इंटर्नशिप को सुविधाजनक बनाने के लिए एआईसीटीई इंटर्नशिप पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल लगभग 76578 उद्योगों और सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई लगभग 54 लाख इंटर्नशिप का प्रस्ताव कर रहा है, जो 11,485 से अधिक संस्थानों को कवर करता है और अब तक 2 करोड़ छात्रों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

एआईसीटीई ने "इनोवेशन डिज़ाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईडीई) बूटकैप" नामक एक पहल विकसित की है जो युवा व्यक्तियों में उद्यमशीलता कौशल को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बूटकैप की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पाठ्यक्रम: बूटकैप उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाला एक व्यापक पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिसमें विचार, डिज़ाइन सोच, व्यवसाय मॉडल विकास, विपणन और धन जुटाना शामिल है।

- व्यावहारिक शिक्षा: प्रतिभागी सीखी गई अवधारणाओं को लागू करने के लिए व्यावहारिक गतिविधियों, कार्यशालाओं और परियोजनाओं में भाग लेते हैं।
- नेटवर्किंग के अवसर: प्रतिभागियों को सफल उद्यमियों, निवेशकों और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य हितधारकों के साथ नेटवर्क करने का अवसर मिलता है।
- वित्तपोषण: चयनित प्रतिभागियों को अपने स्टार्ट-अप को लॉन्च करने और बढ़ाने में मदद करने के लिए सीड फंडिंग, इनक्यूबेशन सहायता और संसाधनों तक पहुँच मिल सकती है।
- ये पहल नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो युवा व्यक्तियों को उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और सहायता प्रदान करती हैं।

\*\*\*\*\*